न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2013 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— अब्दुल शकूर पुत्र श्री रमजान जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री इन्द्रसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक़ अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 26.04.2010, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 03/78 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 03/78 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 61230 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.2008 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 24.12.2008 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.02.09 में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 353/04 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में दर्ज होकर दिनांक 27.04.04 को अदालत द्वारा फैसला सजा होने के कारण नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2010 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं. 03/78 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री इन्द्रसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि जिला दण्ड नायक, हनुमानगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2010 खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण तथा सुनवाई व साक्ष्य आदि का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है। पुलिस की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा सं. 353रु04 धारा 13 आरपीजीओ में दर्ज हुआ था। अपीलार्थी द्वारा किसी हथियार के दुरूपयोग का मामला नहीं था और ना ही किसी व्यक्ति को चोट पहुॅचाने का मामला था। प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध अपनी बन्दूक से फायर करने या डराने या दुरूपयोग करने या आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपराध कारित करने का आरोप नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं कर उसे निरस्त करने का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। इस मुकदमा का संबंध आर्म्स एक्ट के किसी भी प्रावधान से नहीं है। अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण से लोक शांति को किसी प्रकार का खतरा हो या सार्वजनिक सुरक्षा व लोक शांति भंग होने की संभावना हो। शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिये पुलिस रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अनिवार्य नहीं है। यदि लाईसेंसिंग अधिकारी संतुष्ट हो तो बिना पुलिस रिपोर्ट के भी लाईसेंस बना सकता है व उसकी शर्तो में परिवर्तन कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट को ही आधार बना कर एवं पूर्णतया उसी पर आश्रित होकर फैसला देना विधि सम्मत नहींहै। अपीलार्थी का लाईसेंस काफी लम्बे समय से प्रभावी रहा है तथा समय–समय पर नवीनीकरण भी होता रहा है। अपीलार्थी ने सदैव आर्म्स एक्ट के प्रावधानों की पालना की है। अपीलांट को अपनी जान व माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। लाईसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के बाद जब अपीलार्थी नवीनीकरण की जानकारी लेने के लिये अधिनस्थ न्यायाल में पहुॅचा तो उसे कार्मिकों से यह जानकारी मिली कि उसका लाईसेंस नवीनीकृत होने अथवा नहीं होने की सूचना उसके पते पर पहुॅच जायेगी। उक्त सूचना काफी लम्बे समय तक अपीलार्थी को नहीं मिलने पर अपीलार्थी पुनः अधिनस्थ न्यायालय में संपर्क किया तो उसे बताया गया कि उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा उसे नवीनीकृत कराने के लिये शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के बाद ही आगे कार्यवाही होगी। अपीलार्थी को यह जानकारी मिलते ही अपीलार्थी ने अपना शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के आदेश प्राप्त करने के लिये जिला कलक्टर, हनुमानगढ को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा अपना शस्त्र पुलिस थाना में जमा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करवा दिया तथा अपीलांट कम पढा लिखा ग्रामीण होने के कारण अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश को पूर्णतः समझ नहीं सका और लोगों से पूछताछ करके प्रशासन गावों के संग अभियान में दिनांक 21.1.2013 को उक्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ के पत्रांक 1005 दिनांक 18.2.2013 द्वारा अपीलार्थी को उसके लाईसेंस के निरस्त होने की सूचना दी गई। अपील प्रस्तुत करने में हुए मियाद को कन्डोन करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 16.02.09 में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 353/04 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में दर्ज होकर दिनांक 27.04.04 को अदालत द्वारा फैसला में सजा होने के कारण नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का है। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है । प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा व्यापक लोक शांति और कानून व्यवस्था के मध्यनजर जिला जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ के मध्यनजर, गृह विभाग के परिपत्रों एवं शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 353/04 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दिनांक 27.04.04 को सजा होने के कारण अपीलांट के लाईसेंस को आगे नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा पुलिस द्वारा करने पर अपीलांट का लाईसेंस अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2010 द्वारा निरस्त किया गया है, जबकि अपीलांट के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, ना ही उसने शस्त्र का कहीं पर दुरूपयोग किया है । हम राजकीय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक के इस कथन से सहमत हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 16.2.2009 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा सं. 353/04 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दिनांक 27.4.04 को सजा होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है, जो कि अपीलांट के आपराधिक पृष्ठभूमि होने की पुष्टि करती है। हम जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ऐसे आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र रहना समाज हित में उचित नहीं है एवं लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है। अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर गौर किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अन्तर्गत व्यापक लोकशान्ति की सुरक्षा के लिए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः न्यायालय जिला मज़िस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2010 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मॅवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर